संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022

प्रेषक,

सुभाष चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2025

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन ।

महोदय,

दिव्यांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। इस अधिनिमय की धारा-33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

2- उर्पयुक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/2018/18/1/2008-का-2/2018, दिनॉक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रख्यापित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत खण्ड (क), (ख), (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ड़) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास
(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता,
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक नि:शक्तता
(ड) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3- उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021, शासनादेश संख्या-02/2022/आई/246279/2022/65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022 दिनांक 30.09.2024 एवं शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/ 2022, दिनांक 23.05.2025 द्वारा लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- पदों के पुनर्चिन्हांकन संबंधी उक्त शासनादेश दिनॉक 30.07.2021, 09.12.2022, 30.09.2024 एवं दिनॉक 23.05.2025 में कतिपय विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु चिन्हित किये गये कतिपय पदों की श्रेणी/उपश्रेणी चिन्हित न किये जाने के दृष्टिगत सबंधित विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विशेषज्ञ समिति की बैठक/समीक्षा के उपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021, शासनादेश संख्या-02/2022/आई/246279/2022/65-3099 / 58/2022-3, दिनांक 09.12.2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58 /2022, दिनांक 30.09.2024 एवं शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/ 2022, दिनांक 23.05.2025 के अनुक्रम में निम्नानुसार चिन्हांकन/पुनर्चिहांकन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1)

क्र0सं0	विभाग का नाम	पदनाम	चिन्हॉकित श्रेणी / उपश्रेणी
1	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)	स्पीच थेरेपिस्ट	ओ0एल0, ओ0ए0, एल0वी0, एच0एच0, ए0ए0वी0, डी0डब्लू
		सहायक लाईब्रेरियन/ पुस्तकालयाध्यक्ष	ओ0एल0, ओ0ए0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
		कम्प्यूटर प्रशिक्षक (स्पर्श/ संकेत/ अस्थिबाधित विद्यालयों हेतु)	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, ए0ए0वी0, डी0डब्लू
		छात्रावास अधीक्षक (महिला /पुरूष)	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0,
		सांकेतिक भाषा इन्टरप्रेटर	ओ0एल0, एम0डी0वाई0, डी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0,
		फिजियोथेरेपिस्ट	एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0, ए0ए0वी0, डी0डब्लू0,
		शीघ्र पहचान इकाई प्रशिक्षक	ओ0एल0, एम0डी0वाई0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0,
		व्यवसायिक प्रशिक्षक इकाई प्रशिक्षक	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, डी0, डी0डब्लू0, एल0सी0, एच0एच0, ए0ए0वी0,
2	राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0	समूह "घ" अनुसेवक	डी0, एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0
3	कृषि विभाग	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (रसायन शाखा)	एच0एच0, ओ0एल0, ओ0ए0, एल0सी0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0
		वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (शस्य शाखा)	एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0, ओ0ए0, एल0सी0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0
		वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (विकास शाखा)	एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0, ओ0ए0, एल0सी0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0
		वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (कृषि रक्षा शाखा)	एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0, ओ0ए0, एल0सी0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0
		वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (रसायन	एच0एच0, ओ0एल0, ओ0ए0, एल0सी0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		शाखा)	
		वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (कम्प्यूटर आपरेटर)	एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0, ओ0ए0, एल0सी0, डी0डब्लू, ए0ए0वी0

(2)

क्र0सं0	विभाग का नाम/पदनाम	चिन्हाँकित श्रेणी/उपश्रेणी	स्वीकृति
1	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) व्यायाम शिक्षक	डी0, एच0एच0, ए0ए0वी0	शासनादेश दिनॉक: 30-07-2021 द्वारा कालम संख्या-03 में दिव्यांगजन हेतु **व्यायाम प्रशिक्षक पदनाम** से चिन्हांकित श्रेणी/ उपश्रेणी को उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विविध कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2019 में अंकित **व्यायाम शिक्षक पदनाम** को संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2	छात्रावास वार्डेन	ओ0एल0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू, ए0ए0वी	शासनादेश दिनॉक: 30-07-2021 द्वारा कालम संख्या-03 में दिव्यांगजन हेतु **नर्स/ उपचारिका पदनाम** से चिन्हांकित श्रेणी/ उपश्रेणी को उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विविध कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2019 में अंकित **छात्रावास वार्डेन पदनाम** को संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30.07.2021, शासनादेश संख्या-02/2022/आई/246279/2022/65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022 दिनांक 30.09.2024, एवं शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/ 2022, दिनांक 23.05.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजनों के लिये उपरोक्तानुसार विभागवार चिन्हांकित/पुनर्चिहांकित पदों पर नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित कराये जाने के सबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ प्राधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि इसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

8- यह शासनादेश http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।
(4) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निजी सचिव, विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 एवं कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।